RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-05
Issue-05
May-2020

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]
DOI: https://doi.org/10.31305/rrijm.2020.v05.i05.015

महिला सशक्तिकरण एवं मोदी सरकार के 6 वर्ष के प्रयासः एक विश्लेषण

रुचिका चौधरी

अस्सिटेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, सी0एम0पी0 डिग्री कॉलेज, प्रयागराज
(इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक संघटक स्नातकोत्तर महाविद्यालय)
(Corresponding Author *Email: chaudharyruchika123@gmail.com)*

जब एक महिला शिक्षित एंव कुशल होती है, तो वह एक परिवार और समाज को शिक्षित और कुशल बनाती है। जब तक महिलाएं पूरी तरह से शिक्षित, कुशल और समृद्ध नहीं होंगी, तब तक देश वांछित आर्थिक विकास हासिल नहीं कर सकता। 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते है और इस अवसर पर महिलाओं का सम्मान करते है। हमारे देश में महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रगति कर रही हैं चाहे वह भारत की आज़ादी के लिए 1857 का विद्रोह हो या आज़ादी का संघर्ष, भारतीय महिलाओं ने सदैव देश को गौरवान्वित किया है। आज भी, महिलाएं देश के विकास और समाज के उत्थान के लिए पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन कर रही है; वे विभिन्न क्षेत्रों जैसे– शिक्षाविद्, साहित्य, संगीत और नृत्य, खेल, मीडिया, व्यवसाय, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राजनीति और समाजिक विकास में कुशलता से काम कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इतना ही नहीं दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई जैसे महानगरीय शहरों की महिलाएं राजनीति से लेकर कॉर्पोरेट तक के क्षेत्र में बाधाओं को तोड़ रही है। शहरों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं अपने नेतृत्व से नगर–निगम एवं ग्राम पंचायत चुनावों में महत्वपूर्ण भागीदारी के माध्यम से समाज को एक नयी दिशा प्रदान कर रही है। बढ़ती जागरूकता स्पष्ट एवं मजबूत इरादे महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में मजबूती से खड़ा रहने के महत्वपूर्ण कारक है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले समाज के लिए अति महत्वपूर्ण एवं आवश्यक भी है कि आधी आबादी देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर पा रही है। कॉर्पोरेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महिला भागीदारी लगातार बढ़ रही है। आई0टी0 क्षेत्र के साथ ही बैकिंग और वित्त क्षेत्र में भी महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने चंद्रयान–2 की कमान दो महिलाओं को सौंपने का फैसला किया और इन महिलाओं ने भी मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यदि केन्द्रीय मंत्रीपरिषद् की बात की जाए तो देश के महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार भी महिलाओं को सौपा गया। स्व0 सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, निर्मला सीतारमण पहले रक्षा मंत्री और वर्तमान में वित्त और कॉरपोरेट कार्य कैबीनेट मंत्री, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्री एवं वर्तमान में महिला एवं बाल विकास एवं वस्त्र कैबीनेट मंत्री, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कैबीनेट मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह सरूता जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री तथा श्रीमती देबाश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों का कार्यभार बखूबी सम्हाल रही है। यह समाज द्वारा महिलाओं की क्षमता पर विश्वास ही है जो आज महिलाएं खुल कर अपनी रुचि अनुसार क्षेत्र का चयन कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही है।

महिलाओं की क्षमता एवं कुश्लता में और अधिक वृद्धि हो सके इस उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार महिला सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएं चला रही है जिन्होंने हमारे देश की महिलाओं को आत्मसात किया है और उन्हें आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के मार्ग पर ले गए है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ई–हाट योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना, डिजिटल लाडो और स्वच्छ भारत मिशन इसके साथ ही भारत सरकार महिलाओं के पोषण पर बड़े पैमाने पर काम कर रही है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, महिला और बाल सशक्तिकरण तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस सम्बन्ध में मिलकर कार्य कर रहे है। हम यह भली भांति जानते है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अद्वितीय कौशल है। उस कौशल को पहचानना और सर्वोत्तम तरीके से उसका विकास करना भारत सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने हेतु कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश में सभी को उनके सम्बन्धित कौशलानुसार विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्य के पीछे उद्देश्य यह है कि महिलाएं अपने सम्बन्धित कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार उद्यमी बन प्रगति कर सके।

भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो रही है। भारत में लगभग 68.12 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास

RRIJM 2015, All Rights Reserved

योजना के तहत तथा 02.0 को जन शिक्षण संस्थान योजना के तहत प्रशिक्षित किया गया है। लगभग 04.08 लाख महिलाओं को 2018–2020 की अवधि में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि 38.72 लाख महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई0टी0आई0) में प्रशिक्षित किया गया है। महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए देश भर में 18 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान है। महिलाओं को बुनियादी, सैद्धांतिक और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विशेष बैचों का संचालन किया जा रहा है। यह गर्व एवं उल्लास की बात है कि जहां भारत में महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन डिज़ाइन, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रबंधन का अध्ययन कर रही है वहीं कुछ ऐसी महिलाएं (4.0) भी है जो नए युग की भूमिकाएं जैसे आर्टिफीसियल इंटेलिजेन्स, डेटा एनालिटिक्स, 3डी प्रिंटिंग में निपुणता हासिल कर रही है। इसके साथ ही पारम्परिक कौशल जैसे– सौन्दर्य, कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवा में कुशलता प्राप्त करने के साथ ही गैर पारम्परिक कौशल जैसे– इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर में तेजी से प्रगति कर रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिलाओं के कौशल को मजबूत किया है और उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाचे से जुड़ी लगभग 450 नौकरी की भूमिकाएं महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण की ओर केन्द्रित है। प्रधानमंत्री कौशल केन्द्रों में स्वरोजगार दर्जी, सौन्दर्य चिकित्सक, ग्राहक देखभाल अधिकारी, हेयर स्टाइलिस्ट, योग प्रशिक्षक आदि के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही कुछ योजनाओं की लाभार्थी महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से है इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी योजनाएं भी है जो महिलाओं को अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित कर रही है। आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन आदि योजनाओं से महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है एवं इन योजनाओं में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत अस्पताल में भर्ती होने का लाभ 48.01 प्रतिशत महिला लाभार्थियों द्वारा लिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना का एक उद्देश्य ''स्वस्थ नारी स्वस्थ भारत'' भी है और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यह योजना भारत में महिला स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक मूक क्रान्ति के रूप में उभरा है। योजना के तहत 1.03 करोड़+ महिलाओं की स्तन कैंसर तथा 69 लाख+ महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जांच की गयी जो कि महिलाओं हेतु निःशुल्क निवारक जांच है। देश भर में 31,449 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्र (HWC) परिचालन में है। जहां पुरूषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने स्वास्थ्य देखभाल की मांग की है। एच0डब्लू0सी0 (HWCs) में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीम मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा नेतृत्व की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप ना केवल सेवा प्राप्तकर्त्ता की संख्या में वृद्धि हुई है देखभाल की मांग करने वाली महिलाओं के उच्च अनुपात में लगभग 614 लाख महिलाओं ने एच0डब्लू0सी0 (HWCs) में सेवाओं का उपयोग किया जो 54 प्रतिशत दैनिक ग्राहकों की संख्या के लिए जिम्मेदार है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रभाव को जानने हेतु सम्बोधि, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और यूनीसेफ (UNICEF) द्वारा एक अध्ययन किया गया। फरवरी 2020 के दौरान बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 6993 महिलाओं ने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार घरेलू शौचालयों की बढ़ती पहुंच के कारण ग्रामीण भारत में महिलाओं के सुविधा, सुरक्षा और स्वाभिमान में सुधार हुआ है। 93 प्रतिशत महिलाएं शौच के लिए खुले में नहीं जाने से सुरक्षित महसूस करती है। 91 प्रतिशत महिलाएं अपने दिन का एक घण्टा तक बचाती है जो पहले शौच स्थलों पर जाने में खर्च होता था तथा 88 प्रतिशत महिलाओं को एक शौचालय का मालिक होने पर गर्व है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 11 करोड़ इज्जत घर (शौचालय) का निर्माण करा कर महिला सम्मान में वृद्धि की गयी है।

''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' अभियान के तहत शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात लड़कों से ज्यादा है। प्राथमिक शिक्षा स्तर में 89.29 प्रतिशत लड़कों की तुलना में 94.32 प्रतिशत लड़कियों का नामांकन हुआ वहीं माध्यमिक शिक्षा स्तर में 78 प्रतिशत लड़कों की तुलना में 81. 32 प्रतिशत लड़कियों का तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर पर 57.54 प्रतिशत लड़कों की तुलना में 59.07 प्रतिशत लड़कियों का नामांकन हुआ।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान (सुपोषित भारत) के तहत छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों से सम्बन्धित स्टंटिंग, कु–पोषण, रक्ताल्पता (एनिमिया) एवं जन्म के समय शिशु वजन का कम होना इन सब को क्रमशः 2 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 3 प्रतिशत और 2 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य है। 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित करना योजना का लक्ष्य है। इसी अभियान के तहत एनिमिया मुक्त भारत (AMB) रणनीति शुरू की गयी है और प्रति वर्ष 3 प्रतिशत एनीमिया को कम करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये है। ए0एम0बी0 के तहत 6×6×6 की रणनीति में छः आयु वर्ग, छः हस्तक्षेप और छः संस्थागत तंत्र शामिल है। 10–19 वर्ष स्कूली छात्राओं के अतिरिक्त 04.70 करोड़ बच्चों ने तथा 36.06 करोड़ बच्चों ने स्कूल में IFA नीली गोलियां प्रदान किये, 01.09 करोड़ गर्भवती महिलाओं और 95.18 लाख स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 180 IFA लाल गोलियां प्रदान किये गये। 6–59 महीने आयु वर्ग के 14.26 करोड़ बच्चों को आयरन फोलिक एसिड (IFA) सिरप प्रदान किया गया। 5–9 वर्ष आयु वर्ग के 21.29 करोड़ स्कूली बच्चों तथा 01.98 करोड़

RRIJM 2015, All Rights Reserved

स्कूल से बाहर के बच्चों को IFA पिंक गोलियां प्रदान किया गया। उक्त आकड़े अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धियां है।

मासिक धर्म के प्रति सामाजिक वर्जना को दूर करने एवं जागरूकता के प्रसार हेतु जर्मन–आधारित एन0जी0ओ0 वॉश (जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य रक्षा) द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की शुरूआत वर्ष 2013 में की गयी थी और इस दिवस को भारत में पहली बार 28 मई 2014 में मनाया गया। अप्रेल–दिसम्बर 2019 के दौरान मासिक धर्म स्वच्छता योजना के द्वारा 03.43 करोड़ किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए गए। 28 मई 2020 विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का विषय ''कोरोना वायरस संकट के प्रकाश में महामारी के लिए अवधि नहीं रूकती'' रखा गया तथा देश के कई राज्यों में सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया।

स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं मुद्रा योजना का लाभ प्राप्त कर स्वरोजगार कर रही है। झारखण्ड के लातेहार जिले के गरू गावं की स्वयं सहायता समूह की सशक्त एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त कर पुराने सूती कपड़ों से बायो–डिग्रेडेबल सैनिटरी पैड का निर्माण कर रही है। ऐसे कई उदाहरण देश के हर कोने से प्राप्त हो रहे है। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा अपने मकान की मालकिन कहलाने का अवसर प्राप्त हुआ है। लगभग 15 करोड़ महिलाएं मुद्रा योजना का लाभ प्राप्त कर स्वयं को सशक्त बना रही है। पुलिस बलों को समग्र रूप से जेण्डर सेंसिटिव मामलों में संवेदनशील बनाने के लिए तथा पुलिस बलों में ज्यादा महिलाओं को शामिल करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण स्वीकार किया गया है। उज्जवला योजना के द्वारा लगभग 8 करोड़ महिलाएं गैस कनैक्शन प्राप्त कर धूएं रहित वातावरण में भोजन पका रही है।

एक नए जीवन को जन्म देकर महिलाएं समाज की निरन्तरता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गर्भावस्था के दौरान एवं प्रजनन के पश्चात् महिलाओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को रूपये 6000 नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है जिससे आंशिक रूप से मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में पर्याप्त आराम मिल सके। योजना के तहत नामांकित 150 करोड़ से अधिक लाभार्थी है साथ ही इस योजना ने जन्म पंजीकरण एवं पहले 14 सप्ताह में टीकाकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के द्वारा अब तक 2.39 करोड़+ गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व देखभाल मिला, 12.5 लाख+ हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की पहचान PMSMA स्वास्थ्य सुविधा में की गयी तथा 6219 स्वयंसेवको ने पंजीकरण कराया। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (SUMAN) योजना मातृ और नवजात स्वास्थ्य के लिए चलाए जा रहे सभी योजनाओं को एक छतरी के नीचे लाता है तथा सेवाओं से वंचित हर महिला और नवजात के लिए बिना किसी कीमत पर उन्नत, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत भारत में संस्थागत प्रसव 2007–08 में 47 प्रतिशत से बढ़कर 2015–16 में 78.09 प्रतिशत से अधिक हो गया है। जबकि इसी अवधि में सुरक्षि प्रसव ($NFHS_4$) 52.07 प्रतिशत से 81.04 प्रतिशत हो गया है। जे0एस0वाई0 लाभार्थियों की संख्या 2005–06 में 07.39 लाख से बढ़ कर पिछले कुछ वित्तीय वर्षो में औसत एक करोड़ हो गयी है। चालू वित्तीय वर्ष 2019–2020 (दिसम्बर 2019 तक) राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा जे0एस0वाई0 लाभार्थियों की कुल संख्या 75.07 लाख बतायी गयी है। इसी योजना में LaQshya कार्यक्रम द्वारा प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल के द्वारा राज्य प्रमाणित 188 प्रसव कक्ष तथा 160 मातृत्व ऑपरेशन थियेटर का निमार्ण किया गया। इस योजना के परिणमस्वरूप 2000 गर्भवती महिलाओं को प्रतिवर्ष बचाया गया तथा 2014–16 में 130/लाख जीवित जन्मों से घटाकर 2015–17 में 122/लाख जीवित जन्मों (06.02 प्रतिशत गिरावट) के साथ मातृ मृत्यु अनुपात में एक वर्ष में 8 अंकों की गिरावट आयी है। गुणवत्तापूर्ण प्रसूति और नवजात शिशु देखभाल प्रदान करने हेतु एकीकृत सुविधाओं के रूप में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग्स (MCHwings) को जिला अस्पतालों/जिला महिला अस्पतालों और उप–जिला स्तर पर अन्य उच्च मामलें भार सुविधाओं में स्वीकृत किए गए है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 2030 की समय सीमा को भारत 5 वर्ष पूर्व ही 2025 तक प्राप्त कर लेगा।

मातृत्व स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के साथ कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (PC-PNDT) अधिनियम, जो कन्या भ्रूण हत्या एवं गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियमित है, के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा सितम्बर, 2019 की त्रैमासिक प्रगति रिर्पोट के अनुसार 67.084 नैदानिक सुविधाओं को पी0सी0–पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया है, कानून का उल्लंघन करने पर 2.220 मशीनों को सील और जब्त किया गया तथा जिला उपयुक्त अधिकारियों द्वारा 3. 057 मामले अदालत में दायर किए गए। ग्यारह राज्यों को सम्मिलित किए हुए 35 जिला न्यायधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के माध्यम से न्यायपालिका की दिशानिर्देशिका और संवेदनशीलता का संचालन किया जा रहा है तथा वित्त वर्ष 2019–2020 में 22 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए कार्यक्रम समीक्षा बैठकें आयोजित की गयी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

आदि अधिनियम के मुख्य उपलब्धियां है। मातृत्व लाभ (सुधार) अधिनियम, 2017 द्वारा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। इतना ही नहीं महिलाएं जो पैसा लेकर गर्भाधारण करती है या जो अपनी कोख किसी को गोद दे देती है ऐसी महिलाओं को भी 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश का अधिकार प्रदान किया गया है।

महिलाओं के सम्मान एवं संरक्षण हेतु भारत सरकार के ऐतिहासिक कदम के रूप में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 पूरे देश में लागू हो गया है। इस कानून के मुताबिक एक समय में तीन तलाक देना अपराध है। इस अधिनियम ने मुस्लिम महिलाओं को गर्व एवं सम्मान से जीवन जीने का राह खोल दिया है। उक्त योजनाओं, कार्यक्रमों एवं अधिनियम के अतिरिक्त भारत सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहल जैसे– वन स्टॉप सेन्टर, शी बाक्स, हेल्प लाइन नम्बर आदि द्वारा कार्य किया जा रहा है। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा महिलाओं के प्रति आदर एवं सम्मान प्रदर्शित करने हेतु 8 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन देश की सात चयनित महिलाओं को प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया एकाउंट चलाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देश के प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं के प्रति आदर एवं सम्मान प्रदर्शित करने का यह एक ऐतिहासिक कदम था और पूरे विश्व की नज़र इस अवसर पर टिकी थी।

भारत सरकार के प्रयासों ने भारत की महिलाओं के मन में दृढ़ विश्वास पैदा किया है कि वर्तमान सरकार महिलाओं के सम्मान और विकास के प्रति संकल्पबद्ध है और हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ी है।

संदर्भ सूचिः

1. https://indianexpress.com/article/opinion/columns/international-womens-day-girl education-literacy-rate-india-6299564/
2. चौधरी, एन. (2020). महिलाएं और हिंसाः बढ़ती चुनौती. नारी देह के प्रति हिंसा, सेज भाषा, सेज पब्लिकेशन इंडिया प्रा0लि0, नई दिल्ली, पृ0सं0–227–229.
3. www.meity.gov.in
4. www.bjp.org
5. www.mohfw.gov.in
6. www.wcd.nic.in
7. www.nhp.gov.in
8. @swachhbharat
9. @smritiirani
10. www.jagran.com
11. Bhasker news
12. Narendre Modi App
13. 94.3 fever fm

RRIJM 2015, All Rights Reserved